

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1547] No. 1547] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2016/ज्येष्ठ 31, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2016/JYAISTHA 31, 1938

### श्रम और रोजगार मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2016

का.आ. 2160(अ).—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), केन्द्रीय नियम, 1971 के नियम 3 के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन), अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1295 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:- उक्त अधिसूचना में,-

- (क) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
- "(4) सुश्री लोपामुद्रा मोहंती,
  निदेशक (महिला कल्याण),
  महिला और बाल विकास मंत्रालय,
  राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (रा म स मि ),
  कमरा संख्या 303, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

-सदस्य";

- (ख) क्रम संख्यांक (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-
- "(5) अधीक्षण इंजीनियर,
   केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (ठेका और नियमावली)
   निर्माण भवन,
   नई दिल्ली-110011

-सदस्य":

(ग) क्रम संख्यांक (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, "उक्त नियम के नियम 3 के खंड (घ) के अधीन उक्त 3115 GI/2016 (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात:-

## "उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (घ) के अधीन नियुक्त:" ;

- (घ) क्रम संख्यांक (6) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
- "(6) श्री आलोक कुमार, कार्यपालक निदेशक, (औद्योगिक संबंध), रेल मंत्रालय, (रेल बोर्ड ) नई दिल्ली-110001

-सदस्य":

- (ड.) क्रम संख्यांक (7) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
- "(7) श्री अनिल कुमार दुबे, कार्यपालक निदेशक, सिविल इंजीनियरिंग (साधारण), रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड), नई दिल्ली-110001

-सदस्य":

(च) क्रम संख्यांक (7) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, "उक्त नियम के नियम 3 के खंड (ड.) के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (ड.) के अधीन नियुक्त:";

- (छ) क्रम संख्यांक (9) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-
  - "(9) श्री शितांश् प्रसाद,

कार्यपालक निदेशक(कार्मिक और प्रशासन),

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड,

इस्पात भवन, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

-सदस्य"

(ज) क्रम संख्यांक (10) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(10) अध्यक्ष,

बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (दिल्ली केन्द्र),

बी-001, 'वाई शेप' भवन,

नई दिल्ली-110002

(झ) क्रम संख्यांक (11) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(11) अधीक्षण इंजीनियर(प्रौद्योगिकी विधि सेल),

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,

निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

-सदस्य"

(ञ) क्रम संख्यांक (12) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(12) श्री आर.के. शर्मा,

महासचिव,

भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ,

फीमी हाउस, बी-311, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस -1,

नई दिल्ली-110020

-सदस्य"

(ट) क्रम संख्यांक (12) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, "उक्त नियम के नियम 3 के खंड (च) के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थातु:-

"उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) और उक्त नियम के नियम 3 के खंड (च) के अधीन नियुक्त:";

(ठ) क्रम संख्यांक (16) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(16) श्री बृज बिहारी शर्मा,

भारतीय मजदूर संघ,

बुदिदिहा, सीटीपीएस रोड़,

दुग्दा, जिला बोकरो,

झारखंड

-सदस्य":

[सं. यू. 23013/11/2015-एल.डब्ल्यू.(बी)] बिपिन मलिक, संयुक्त सचिव

**टिप्पण** : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 2195(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st June, 2016

- **S.O. 2160(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) read with rule 3 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1295(E), dated the 2<sup>nd</sup> April, 2016, namely:-In the said notification,-
  - (a) for serial number (4) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
    - "(4) Ms. Lopamudra Mohanty,

Director (Women Welfare),

Ministry of Women and Child Development,

National Mission for Empowerment of Women (NMEW),

Room No.303, A-Wing, Shastri Bhawan, New Delhi – 110001

-Member":

- (b) for serial number (5) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
  - "(5) The Superintendent Engineer (Contract and Manual), Central Public Works Department, Nirman Bhawan, New Delhi – 110011.

-Member";

- (c) after serial number (5) and the entries relating thereto, for the heading "Appointed under clause (c) of subsection (2) of section 3 of the said Act under clause (d) of rule 3 of the said rules:", the following heading shall be substituted, namely:-
  - "Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and clause (d) of rule 3 of the said rules:";
- (d) for serial number (6) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
  - "(6) Shri Alok Kumar,

Executive Director (Industrial Relation),

Ministry of Railways (Railway Board),

New Delhi - 110001

--Member":

- (e) for serial number (7) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
  - "(7) Shri Anil Kumar Dubey,

Executive Director,

Civil Engineering (General),

Ministry of Railways (Railway Board),

New Delhi - 110001

-Member";

- (f) after serial number (7) and the entries relating thereto, for the heading "Appointed under clause (c) of subsection (2) of section 3 of the said Act under clause (e) of rule 3 of the said rules:", the following heading shall be substituted, namely:-
  - "Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and clause (e) of rule 3 of the said rules:";

- (g) for serial number (9) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-
  - "(9) Shri Shitanshu Prasad,

Executive Director (Personnel and Administration),

Steel Authority of India Limited,

Ispat Bhavan, Lodi Road,

New Delhi-110003

-Member";

- (h) for serial number (10) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
  - "(10) The Chairman,

Builder Association of India (Delhi Centre),

B-001, 'Y' Shape Building,

New Delhi- 110002.

-Member":

- (i) for serial number (11) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
  - "(11) The Superintending Engineer (Techno Legal Cell)

Central Public Works Department,

Nirman Bhawan,

New Delhi - 110011

-Member";

- (j) for serial number (12) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-
  - "(12) Shri R.K. Sharma,

Secretary General,

Federation of Indian Mineral Industries,

FIMI House, B-311, Okhla Industrial Area, Phase-I,

New Delhi - 110020

-Member";

- (k) after serial number (12) and the entries relating thereto, for the heading "Appointed under clause (c) of subsection (2) of section 3 of the said Act under clause (f) of rule 3 of the said rules:", the following heading shall be substituted, namely:-
  - "Appointed under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the said Act and clause (f) of rule 3 of the said rules:";
- (l) for serial number (16) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted namely:-
  - "(16) Shri Brij Bihari Sharma,

Bharatiya Mazdoor Sangh, Budidiha,

CTPS Road, Dugda, District Boakro,

Jharkhand.

-Member".

[No.U-23013/11/2015-L.W. (B)]

BIPIN MALLICK, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 2195(E), dated the 2<sup>nd</sup> April, 2016.